कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।
नजारत–अनुभाग
निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित दुकानों की नीलामी इस वित्तीय वर्ष के लिये दिनांक 28.3.2022 को करायी गयी थी। परिसर में स्थित 13 दुकानों में से 6 दुकानो की नीलामी की जा चुकी है। नीलामी हेतु शेष रह गयी 7 दुकानों की पुनः नीलामी दिनांक 16.5.2022 को सायं 4.00 बजे मीटिंग हाल में निर्धारित की जाती है।

कम संख्या	विवरण दुकान	दुकान का प्रकार	न्यूनतम धरोहर धनराशि
1	दुकान संख्या–2	पूड़ी, मिठाई व नमकीन	10,000/–
2	दुकान संख्या–3	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/–
3	दुकान संख्या–5	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/–
4	दुकान संख्या–8	साईकिल स्टैण्ड	10,000/–
5	दुकान संख्या–9	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/–
6	दुकान संख्या–10	पान, चाय, बिस्कुट व नमकीन	10,000/–
7	दुकान संख्या–13	फोटो स्टेट	10,000/–

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्तानुसार धरोहर धनराशि नगद दिनांक 13.5.2022 को सायं 4.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते है। खुली बोली की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 16.5.2022 को सायं 4.00 बजे जनपद न्यायालय, मीरजापुर स्थित मीटिंग हाल में होगी। नीलामी प्रकिया के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, ज
नपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सामान्य शर्तें

1– इस नीलामी में केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा जो पूर्व में किसी प्रकार से डिफाल्टर न रहा हो।

2– Security Money प्रत्येक दुकान की 10,000/–रुपये होगी।

3– आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जायेगी शेष 75 प्रतिशत 7 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर दुकान का आवंटन बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। धनराशि जमा करने की अवधि किसी भी दशा में बढ़ायी नही जायेगी।

4– आवंटी को आवंटित दुकान किसी अन्य को किराये पर उठाने का अधिकार नही होगा।

5– आवंटी को आवंटित दुकान में स्थायी प्रकृति के निर्माण का कार्य/अतिक्रमण का अधिकार नही होगा। ऐसा करने पर नीलामी निरस्त किया जा सकता है।

6– पान की गुमटी लेने वाले को सिगरेट/बीड़ी/तम्बाकू बेचने का अनुमन्य नही होगा। इस आशय की अण्डर टेकिंग देना अनिवार्य होगा।

7– आवंटीगण द्वारा नीलामी की शर्तो के उल्लंघन पर बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी निरस्त कर जमानत की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जयेगी।

8– आवंटीगण आवंटित दुकान में जनपद न्यायालय परिसर की विद्युत का उपभोग नही करेंगें। इसके लिये उन्हे अलग से विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

9– खुली बोली में सर्वाधिक बोली लगाने वाले को दुकान आवंटित की जावेगी।

10– वित्तीय वर्ष 2022–23 की अधिकतम बोली इस वर्ष के लिये रिजर्व बिड होगी। इससे कम की बोली होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात दुकान आवंटित की जा सकेगी।

23.4.22

(चन्द्र शेखर मिश्रा)
अध्यक्ष, नीलामी कमेटी/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–5,
मीरजापुर।